



स्टेट बैंक समूह  
**State Bank Group**

नई पूँजी पर्याप्तता संरचना  
(बेसल - II)  
**New Capital Adequacy Framework  
(Basel - II)**

स्तंभ - III (बाजार अनुशासन)  
प्रकटीकरण  
**Pillar - III (Market Discipline)  
Disclosures**





भारतीय स्टेट बैंक (समेकित), दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार

तालिका डी एफ-1

कार्यान्वयन क्षेत्र

1. गुणात्मक प्रकटीकरण :

1.1 भारतीय स्टेट बैंक : भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर यह बेसल-II संरचना लागू होती है।

1.2 स्टेट बैंक समूह में शामिल कंपनियां

समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देश, लेखामानक/आइसीएआइ द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियाँ शामिल हैं, के अनुरूप हैं। स्टेट बैंक समूह में निम्नलिखित अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी हैं।

1.2.1 पूर्णतः समेकित कंपनियां: निम्नलिखित अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यमों (जो अनुषंगियाँ भी हैं) को लेखामानक एएस 21 के अनुसार अक्षरशः समेकित किया गया है।

क्रमांक	अनुषंगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	75.07
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.00
3	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	98.05
4	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	92.33
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	100.00
6	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	75.01
7	एस बी आइ सी आइ बैंक लिमिटेड	100.00
8	एस बी आइ कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	100.00
9	एस बी आइ कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	100.00
10	एस बी आइ कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	100.00
11	एस बी आइ कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	100.00
12	एस बी आइ डी एफ एच आइ लिमिटेड	66.39
13	एस बी आइ म्यूचुअल फण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	100.00
14	एस बी आइ ग्लोबल फैक्टर्स लि.	85.35
15	एस बी आइ पेंशन फंड प्रा. लि.	96.85
16	एस बी आइ कस्टोडियल सर्विसेस प्रा. लि.	65.00
17	एस बी आइ जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
18	एस बी आइ पैमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	100.00
19	एस बी आइ (कनाडा)	100.00
20	एस बी आइ (कैलिफोर्निया)	100.00
21	एस बी आइ (मारीशस) लिमिटेड	93.40
22	पी टी बैंक एस बी आइ इंडोनेशिया	76.00
23	एस बी आइ कैप (यू के) लि.	100.00
24	एस बी आइ कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	60.00
25	एस बी आइ फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	63.00
26	एस बी आइ लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
27	कामर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी.	60.00
28	नेपाल एस बी आइ बैंक लि.	55.02
29	एस बी आइ फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	63.00

1.2.2 जो संस्थाएँ संयुक्त उद्यम हैं, उनका समेकन लेखा मानक-एएस 27 के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया गया है।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	सी ऐज टेक्नोलॉजीस लि.	49.00
2	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	40.00
3	एस बी आइ मैक्वारी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	45.00
4	एस बी आइ मैक्वारी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.*	100.00
5	मैक्वारी एस बी आइ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लि.	45.00
6	मैक्वारी एस बी आइ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00

\*संयुक्त उद्यम को अगली तिमाही में शामिल किए जाने की आशा है।

1.2.3 स्टेट बैंक की सभी अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी बैंकों का समेकन किया गया है। इसलिए ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसे समेकन में शामिल न किया गया हो। उपर्युक्त अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के अलावा, निम्नलिखित सहयोगियों का समेकन लेखा मानक 23 के अनुसार ईक्विटी लेखाकरण आधार पर किया गया है।





**STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED) AS ON 31.03.2010**

**TABLE DF-1**

**SCOPE OF APPLICATION**

**1. Qualitative Disclosures:**

1.1 **Parent** : State Bank of India is the parent company to which the Basel II Framework applies.

1.2 **Entities constituting State Bank Group**

The consolidated financial statements of the group conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, Regulatory/Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/guidance notes issued by the ICAI. The following subsidiaries/Joint Ventures and Associates constitute the State Bank Group.

1.2.1 **Fully Consolidated Entities:** The following Subsidiaries and Joint Ventures (which are also subsidiaries) are fully consolidated on a line by line basis as per Accounting Standard AS 21.

S.No	Name of the Subsidiary	Group's Stake (%)
1.	State Bank of Bikaner & Jaipur	75.07
2.	State Bank of Hyderabad	100.00
3.	State Bank of Indore	98.05
4.	State Bank of Mysore	92.33
5.	State Bank of Patiala	100.00
6.	State Bank of Travancore	75.01
7.	SBI Commercial & International Bank Ltd.	100.00
8.	SBI Capital Markets Ltd.	100.00
9.	SBICAP Securities Ltd.	100.00
10.	SBICAP Trustee Company Ltd.	100.00
11.	SBICAPS Ventures Ltd.	100.00
12.	SBI DFHI Ltd.	66.39
13.	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.	100.00
14.	SBI Global Factors Ltd.	85.35
15.	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.	96.85
16.	SBI Custodial Services Pvt. Ltd.	65.00
17.	SBI General Insurance Company Ltd.	74.00
18.	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	100.00
19.	State Bank of India (Canada)	100.00
20.	State Bank of India (California)	100.00
21.	SBI (Mauritius) Ltd.	93.40
22.	PT Bank SBI Indonesia	76.00
23.	SBICAP (UK) Ltd.	100.00
24.	SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.	60.00
25.	SBI Funds Management Pvt. Ltd.	63.00
26.	SBI Life Insurance Company Ltd.	74.00
27.	Commercial Bank of India Llc.	60.00
28.	Nepal SBI Bank Ltd.	55.02
29.	SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.	63.00

1.2.2 Pro Rata Consolidated Entities: The entities which are joint Ventures are consolidated pro rata as per Accounting Standard – AS27.

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	40.00
3	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	45.00
4	SBI Macquire Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.*	100.00
5	Macquire SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	45.00
6	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	45.00

\* JV Partner is expected to be inducted in the next quarter.

1.2.3 All the subsidiaries, joint ventures and associates of State Bank are consolidated. Hence there is no entity which is excluded from consolidation. In addition to the above mentioned Subsidiaries and Joint Ventures, the following associates are consolidated as per Equity Accounting in terms of AS 23.





क्रमांक	सहयोगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	35.00
2	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	35.00
3	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	35.00
4	इलाकाई देहाती बैंक	35.00
5	मेघालया ग्रामीण बैंक	35.00
6	कृष्णा रूरल बैंक	35.00
7	लंगपी देहांगी रूरल बैंक	35.00
8	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	35.00
9	मिजोरम रूरल बैंक	35.00
10	नागालैंड रूरल बैंक	35.00
11	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	35.00
12	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
13	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
14	उत्कल ग्राम्य बैंक	35.00
15	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	35.00
16	वनांचल ग्रामीण बैंक	35.00
17	मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	26.27
18	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	34.32
19	डेक्कन ग्रामीण बैंक	35.00
20	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक	32.32
21	मालवा ग्रामीण बैंक	35.00
22	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	35.00
23	क्लियरिंग कापेरेशन ऑफ इंडिया लि.	28.99
24	बैंक ऑफ भूटान	20.00
25	एस. एस. वेंचर्स लिमिटेड	50.00
26	एसबीआइ होम फाइनेंस लिमिटेड	25.05

### 1.3 लेखाकरण एवं विनियामक प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में अंतर

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित बैंक, समूह की उन कंपनियों को समेकन से बाहर रख सकता है जो बीमा व्यवसाय एवं ऐसे व्यवसाय से जुड़ी हैं जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं हैं। इसलिए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग प्रयोजनों से निम्नलिखित संस्थाओं में समूह के निवेशों को लागत आधार पर लिया गया है और उसमें से क्षरण को घटाया गया है, यदि कोई है।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	सी एज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	49.00
2	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	40.00
3	एस बी आइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00
4	एस बी आइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00

## 2. मात्रात्मक प्रकटीकरण :

2.1 सभी अनुषंगियों की पूंजी अभाव की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् इन्हें हटा दिया गया है एवं ऐसी अनुषंगियों का नाम(के नाम) : **कोई नहीं**

2.2 बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की कुल राशियाँ (अर्थात् वर्तमान बही-मूल्य) जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हिस्से का अनुपात, और यदि भिन्न हो तो इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात और इसके अतिरिक्त इस पद्धति की तुलना में कटौती पद्धति का उपयोग करने पर विनियामक पूंजी पर परिमाणत्मक प्रभाव को सूचित करता है:

- 1) नाम : **एस बी आइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई**  
निगमन देश : **भारत**  
स्वामित्व हिस्सा : **रु. 740.00 करोड़ (74%)**
- 2) नाम : **एस बी आइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई**  
निगमन देश : **भारत**  
स्वामित्व हिस्सा : **रु. 111.00 करोड़ (74%)**

विनियामक पूंजी पर परिमाणत्मक प्रभाव :

समेकन पद्धति के अधीन : **लागू नहीं**

कटौती पद्धति के अधीन : पूंजी पर्याप्तता की गणना के प्रयोजन से बीमा अनुषंगी में किए गए कुल निवेश को बैंक की पूंजी निधियों में से घटाया गया है।





S.No	Name of the Associate	Group's Stake (%)
1	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	35.00
2	Arunachal Pradesh Rural Bank	35.00
3	Chhatisgarh Gramin Bank	35.00
4	Ellaquai Dehati Bank	35.00
5	Meghalaya Rural Bank	35.00
6	Krishna Grameena Bank	35.00
7	Langpi Dehangi Rural Bank	35.00
8	Madhya Bharat Gramin Bank	35.00
9	Mizoram Rural Bank	35.00
10	Nagaland Rural Bank	35.00
11	Parvatiya Gramin Bank	35.00
12	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	35.00
13	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	35.00
14	Utkal Gramya Bank	35.00
15	Uttaranchal Gramin Bank	35.00
16	Vananchal Gramin Bank	35.00
17	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	26.27
18	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	34.32
19	Deccan Grameena Bank	35.00
20	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	32.32
21	Malwa Gramin Bank	35.00
22	Saurashtra Grameena Bank	35.00
23	The Clearing Corporation of India Ltd.	28.99
24	Bank of Bhutan	20.00
25	S.S. Ventures Services Ltd.	50.00
26	SBI Home Finance Ltd.	25.05

### 1.3 Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes

In terms of Regulatory guidelines, the consolidated bank may exclude from consolidation, group companies which are engaged in insurance business and business not pertaining to financial services. Hence the groups' investments in the under mentioned entities are taken at cost less impairment, if any, for Consolidated Prudential Reporting purposes.

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	40.00
3	SBI Life Insurance Company Ltd.	74.00
4	SBI General Insurance Company Ltd.	74.00

## 2. Quantitative Disclosures:

2.1 The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e., that are deducted and the names(s) of such subsidiaries: **Nil**

2.2 The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted, as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities in addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction:

- 1) Name : **SBI Life Insurance Co. Ltd. Mumbai**  
Country of Incorporation : **India**  
Ownership interest : **Rs.740.00 crores (74%)**
- 2) Name : **SBI General Insurance Co. Ltd. Mumbai**  
Country of Incorporation : **India**  
Ownership interest : **Rs.111.00 crores (74%)**

**Quantitative Impact on the Regulatory Capital :**

**Under consolidation method : NA**

**Under deduction method:** Entire investment made in the Insurance subsidiary is reduced from Capital Funds of the Bank, for the purpose of Capital Adequacy calculation.





**तालिका डीएफ - 2**  
**पूँजी संरचना : प्रकटीकरण**

गुणात्मक प्रकटीकरण  
(क) सारांश

पूँजी का प्रकार	विशेषताएँ
ईक्विटी (श्रेणी-I)	देशी बैंकिंग अनुबंधियों ने ईक्विटी लिखतों के जरिये ईक्विटी जुटाई है। प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है, जबकि उनमें से कुछ जैसे स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर एवं स्टेट बैंक ऑफ़ ट्रावणकोर के पास पब्लिक शेयरधारिता भी है। वर्ष 2009-10 के दौरान शेयर प्रीमियम सहित ईक्विटी की रु. 520 करोड़ की राशि बैंकिंग अनुबंधियों द्वारा जुटाई गई: एसबीएच : रु. 350 करोड़ (शेयर प्रीमियम रु. 346.50 करोड़) और एस बी पी : रु. 170 करोड़ (शेयर प्रीमियम रु. 150 करोड़). देशी गैर-बैंकिंग अनुबंधियों ने ईक्विटी लिखतों के माध्यम से ईक्विटी जुटाई है। प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है तथा अन्य शेयरधारक इस प्रकार हैं- एसजीएम (एसबीआई फंड्स - 37%), जीई कैपिटल (एसबीआई फंड्स-40%), सिडबी (एसबीआई जीएफएल 6.53%), बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (एसबीआई जीएफएल 4.81%), यूबीआई (एसबीआई जीएफएल 3.27%), एस बी इंदौर (एसबीआई जीएफएल 1.96%)। वर्ष 2009-10 के दौरान एस बी आई कार्ड्स में दोनों हित धारकों द्वारा धारित ईक्विटी के अनुपात में रु. 130 करोड़ का ईक्विटी पूंजी के रूप में निवेश किया गया। एसबीआई की अनुबंधी एसबीआई फ़ैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विसेस प्रा. लि. का एसबीआई की अन्य अनुबंधी ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लि. समामेलन किया गया और समामेलित कंपनी का नाम बदल कर एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लि. कर दिया गया। एसबीआई द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. का 13.84% हिस्सा ले लिया गया। इस प्रकार एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. और इसकी सभी अनुबंधियां (एसबीआईकैप सिव्युरिटीज लि., एसबीआई कैप ट्रेडी कंपनी लि., एसबीआई कैम्प वैचर्स लि., एसबीआई कैप (यूके लि.) एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुबंधियां बन गईं। विदेशी अनुबंधियों की टियर-I पूंजी में प्रदत्त पूंजी, आरक्षितियां और अधिशेष सम्मिलित हैं। नेपाल एसबीआई बैंक लि. जो एसबीआई का एक सहयोगी है, 14.06.2009 से एसबीआई की अनुबंधी बन गया है क्योंकि एसबीआई ने एग्रीकल्चर बैंक लिमिटेड नेपाल (एडीबीएल) से 5% अतिरिक्त हिस्सा ले लिया है। नेपाल एसबीआई बैंक 14.06.2009 से एसबीआई की अनुबंधी बन गया है। पीटी बैंक इंडो मॉनेक्स जो एसबीआई की एक अनुबंधी है, 6 मई 2009 से इसका नाम बदलकर पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया कर दिया गया है।
नवोन्मेषी लिखत (श्रेणी-I)	भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण लिखतों (आईपीडीआई) के जरिये पूंजी जुटाई। कुछ बैंकिंग अनुबंधियों ने परपेचुअल ऋण लिखतों के जरिये भी अगस्त 2009 और जनवरी 2009 में रु. 1000 करोड़ की पूंजी जुटाई। अगस्त 2009 के दौरान जुटाई गई रु. 1000 करोड़ की आईपीडीआई की राशि में से रु. 450 करोड़ की राशि को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से पूंजीगत निधियों के रूप में गणना में शामिल किया गया। कुछ बैंकिंग अनुबंधियों ने परपेचुअल डैट इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से भी पूंजी जुटाई। वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 535 करोड़ की कुल राशि के आईपीडीआई विभिन्न बैंकिंग अनुबंधियों द्वारा जारी किए गए (एसबीएच द्वारा रु. 135 करोड़, एसबीएम द्वारा रु. 100 करोड़ और एसबीपी द्वारा रु. 300 करोड़)। विदेशी अनुबंधी बैंकों ने आज की तारीख में नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण लिखतों के जरिये श्रेणी-I की पूंजी नहीं जुटाई।
श्रेणी-II	भारतीय स्टेट बैंक तथा उसकी अनुबंधियों ने उच्चतर तथा न्यूनतर श्रेणी-II की पूंजी जुटाई। बाण्डों के निजी स्थानापन्न (प्राइवेट प्लेसमेंट) के माध्यम से जुटाए गए गौण ऋण दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय और सममूल्य पर मोचन योग्य हैं। इस ऋण को बैंक की वर्तमान एवं भावी वरिष्ठ ऋणग्रस्तता समझा गया है और यह श्रेणी-II पूंजी के लिए पात्र है। देशीय अनुबंधियों के मामले में उच्चतर श्रेणी-2 एवं श्रेणी-2 बांड (एसबीआईसीआई बैंक लिमिटेड को छोड़कर) के जरिये श्रेणी-II की पूंजी जुटाई गई। ये बिल्कुल सादे बांड हैं, कोई पुट ऑप्शन अथवा कॉल ऑप्शन नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमोदन के बिना बांड का मोचन नहीं किया जा सकता। वर्ष 2009-10 के दौरान एसबीएच द्वारा अपर टियर-II बांडों के रूप में रु. 1250 करोड़ की कुल राशि के ऋण पूंजी लिखत जुटाए गए। कुछ गैर-बैंकिंग अनुबंधियों जैसे एसबीआई कार्ड्स और एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लि. द्वारा क्रमशः रु. 124.80 करोड़ और रु. 162.05 करोड़ के गौण ऋण जुटाए गए जिन्हें टियर-II पूंजी के रूप में शामिल किया गया है। विदेशी स्थित अनुबंधियों की टियर-II पूंजी में सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त गौण सावधि ऋण शामिल है। नेपाल एसबीआई लि. की टियर-II पूंजी में प्रावधान और 16.07.2006 को जारी और 15.07.2013 का परिपक्व हो रहे गौण सावधि ऋण शामिल हैं। नेपाल एसबीआई बैंक लि. में एसबीआई की शेयरधारिता बढ़ाकर 55.28 प्रतिशत कर दी गई है। ऐसा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ नेपाल (एडीबीएन) से अतिरिक्त हिस्सा लिए जाने के कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप नेपाल एसबीआई बैंक लि. 14.06.2009 से एसबीआई की अनुबंधी बन गया।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

भारतीय स्टेट बैंक ने देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से समिश्र श्रेणी-I पूंजी तथा उच्चतर एवं निम्नतर श्रेणी-II गौण ऋण लिया है। नवोन्मेषी अथवा समिश्र पूंजी लिखतों के मामले में सभी पूंजीगत लिखतों की प्रमुख विशेषताओं की शर्तों का सार निम्नानुसार है :

पूँजी का प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ				
ईक्विटी	रु. 634.88 करोड़				
इन्वेस्टिव परपेचुअल डैट इंस्ट्रुमेंट्स	जारी करने की तारीख	राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि (महीने)	कूपन (% वार्षिक वार्षिक आधार पर देय)	रेटिंग
	15.02.07	रु. 1795.71 करोड़ (400 मिलियन अमरीकी डॉलर)	परपेचुअल विद ए कॉल 10 वर्ष 3 महीने के बाद अर्थात् दिनांक 15.05.2017 को कॉल ऑप्शन के साथ परपेचुअल तथा 100 आधार अंकों की स्टेप अप के साथ अर्थात् कॉल ऑप्शन का प्रयोग	6.439%	बीएए 2 मूडी की बी बी - एस एंड पी
	26.06.07	रु. 1010.25 करोड़ (225 मिलियन अमरीकी डॉलर)	परपेचुअल विद ए कॉल 10 वर्ष के बाद अर्थात् दिनांक 27.06.2017 को कॉल ऑप्शन के साथ 137 आधार अंकों के बराबर। 100 आधार अंकों की स्टेप अप	7.140%	बी ए ए 2 - मूडी की बी बी - एस एंड पी
	14.08.09	रु. 1000 करोड़*	परपेचुअल विद ए कॉल 10 वर्ष के बाद अर्थात् प्रथम 10 वर्ष के लिए दिनांक 14.08.2019 को कॉल ऑप्शन के साथ परपेचुअल तथा 50 आधार अंकों की स्टेप अप के साथ अर्थात् कॉल ऑप्शन का प्रयोग	9.10% वार्षिक प्रथम 10 वर्ष के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर
	27.01.10	रु. 1000 करोड़	परपेचुअल विद ए कॉल 10 वर्ष के बाद अर्थात् प्रथम 10 वर्ष के लिए दिनांक 27.01.2020 को कॉल ऑप्शन के साथ परपेचुअल तथा 50 आधार अंकों की स्टेप अप के साथ अर्थात् कॉल ऑप्शन का प्रयोग	9.05% वार्षिक प्रथम 10 वर्ष के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर
अगस्त 2009 में जुटाई गई रु. 1000 करोड़ की राशि में से रु. 450 करोड़ बैंक द्वारा टियर-I पूंजी के रूप में शामिल किए गए हैं (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार)। भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने रु. 1710 करोड़ की कुल राशि के नए परपेचुअल डैट इंस्ट्रुमेंट जुटाए: एसबीबीजे रु. 200 करोड़, एसबीएच 485 करोड़, स्टेट बैंक आफ इंदौर रु. 165 करोड़, एसबीएम रु. 260 करोड़, एसबीपी रु. 300 करोड़, और एसबीटी रु. 300 करोड़.)					
उच्च श्रेणी II गौण ऋण	<b>लिखत का प्रकार :</b> अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन-पत्र के रूप में उच्च श्रेणी II गौण बांड। <b>विशेषताएँ :</b> i) निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं। ii) 10 वर्ष परचात बैंक द्वारा क्रय विकल्प। iii) <b>स्टेप-अप ऑप्शन :</b> यदि बैंक 10 वर्ष परचात क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं करता तो बांड 5 वर्ष की शेष अवधि के दौरान 50 आधार अंक का स्टेप-अप ऑप्शन उपलब्ध होगा। iv) <b>लॉक-इन-क्लॉज :</b> यदि सीएआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीएआर के नीचे है तो बैंक का अतिरिक्त ब्याज एवं परिपक्वता पर मूलराशि के भुगतान का दायित्व नहीं होगा। तथापि, जहाँ तक बैंक न्यूनतम विनियामक सीएआर बनाए रखता है, निश्चित समय पर बैंक अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाएगा।				





**TABLE DF-2  
CAPITAL STRUCTURE: DISCLOSURES**

**Qualitative Disclosures**

(a) Summary

Type of Capital	Features
Equity (Tier -I)	<p>Domestic Banking Subsidiaries have raised equity through Equity Instruments. The majority shareholder is SBI while some of them like SBBi, SBIn, SBM and SBT have public shareholding as well.</p> <p>During 2009-10 Equity including Share Premium amounting to Rs. 520 crores was raised by the Banking Subsidiaries: SBH:-Rs.350 crores (Share Premium Rs.346.50 crores) and SBP:- Rs.170 crores (Share Premium Rs.150 crores).</p> <p>Domestic Non-Banking Subsidiaries have raised equity through Equity Instruments. The majority shareholder is SBI and the others are SGAM (SBI FUNDS-37%), GE Capital (SBI CARDS-40%), SIDBI (SBI GFL- 6.53%), Bank of Maharashtra (SBI GFL- 4.81%), UBI (SBI GFL-3.27%), SB Indore (SBI GFL-1.96%).</p> <p>During 2009-10, Rs.130 crores was infused as equity capital in SBI Cards in proportion of equity holding by both the stake holders. SBI's subsidiary, SBI Factors &amp; Commercial Services Pvt. Ltd. is amalgamated with Global Trade Finance Ltd., another subsidiary of SBI and the amalgamated entity's name has been changed to SBI Global Factors Ltd.</p> <p>SBI has acquired 13.84% stake in SBI Capital Markets Limited from Asian Development Bank (ADB). Thus SBI Capital Markets Limited and all its subsidiaries (SBICAP Securities Ltd, SBICAP Trustee Company Ltd, SBICAPS Ventures Ltd, SBICAP (UK) Ltd) have become wholly owned subsidiaries of SBI.</p> <p>Tier I capital of foreign subsidiaries is comprised of paid up capital, reserves and surpluses. Nepal SBI Bank Ltd, an associate of SBI has become its subsidiary w.e.f 14.06.2009 as SBI has acquired 5% additional stake from Agricultural Development Bank Limited, Nepal (ADBL). Nepal SBI Bank has become subsidiary of SBI w.e.f. 14.06.2009.</p> <p>The name of PT Bank Indo Monex, a subsidiary of SBI has been changed to PT Bank SBI Indonesia w.e.f. 6th May 2009.</p>
Innovative Instruments (Tier-I)	<p>SBI has raised Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDIs) reckoned as Tier I Capital in the International Market during FY: 06-07 and 07-08. Further, the Bank has also raised Rs.1000 crores each during August 2009 and January 2010 in the form of IPDIs. Out of the IPDIs of Rs.1000 crores raised in August 2009, Rs.450 crores are reckoned as Capital Funds for the purpose of Capital Adequacy (as per RBI instructions).</p> <p>Some of the Banking Subsidiaries have also raised capital through Perpetual Debt Instruments. During 2009-10, IPDIs aggregating Rs.535 crores were issued by the various Banking Subsidiaries (Rs.135 crores by SBH, Rs.100 crores by SBM and Rs.300 crores by SBP).</p> <p>Foreign Subsidiary Banks have not raised Tier I Capital by way of IPDIs as of date.</p>
Tier-II	<p>SBI and its Subsidiaries have raised Upper as well as Lower Tier II Capital. The subordinated debts raised through private placement of Bonds are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par. The debt is subordinated to present and future senior indebtedness of the Bank and qualifies for Tier II capital.</p> <p>In case of Domestic Subsidiaries, Tier-II capital has been raised by way of Upper Tier-2 as well as Lower Tier-2 bonds (except SBICI Bank Ltd). The instruments are unsecured, redeemable, non- convertible bonds. They are plain vanilla bonds with no embedded put option, or call option without RBI's prior approval.</p> <p>During 2009-10, SBH has raised debt capital instruments in the form of Upper Tier II Bonds aggregating Rs.1250 crores. Some of the Non-Banking Subsidiaries like SBI CARDS and SBI Global Factors Ltd. have raised subordinated debt to the extent of Rs. 124.80 crores and Rs. 162.05 crores respectively, which is reckoned as Tier II Capital.</p> <p>Tier II capital of Foreign Subsidiaries comprises of subordinated term debt apart from General provisions. Nepal SBI Ltd. Tier II capital consists of provisions and subordinated term debt issued on 16.07.2006 and maturing on 15.07.2013.</p> <p>The shareholding of SBI in Nepal SBI Bank Ltd. increased to 55.28% subsequent to acquisition of additional stake from Agricultural Development Bank of Nepal (ADBN) and as a result Nepal SBI Bank Ltd. has become subsidiary of SBI w.e.f. 14.06.2009.</p>

**Qualitative Disclosures:**

State Bank of India has raised Hybrid Tier I Capital and Upper and Lower Tier II Subordinated Debt in the Domestic and International Market. Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of innovative, complex or hybrid capital instruments are as under:

Type of capital	Main features				
Equity	Rs. 634.88 crores				
Innovative Perpetual Debt Instruments	Date of Issue	Amount	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
	15.02.07	USD 400 million Rs. 1795.71 crores	Perpetual with a Call Option after 10 yrs 3 mths i.e. on 15.05.2017 and step-up of 100 bps	6.439%	Ba2- Moody's BB - S & P
	26.06.07	USD 225 million Rs. 1010.25 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.06.2017 and step-up of 100 bps	7.140%	Ba2- Moody's BB - S & P
	14.08.09	Rs. 1000 crores*	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 14.08.2019 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.10% pa for the first 10 years	AAA- CRISIL AAA- CARE
	27.01.10	Rs. 1000 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.01.2020 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.05% p.a. for the first 10 years	AAA- CRISIL AAA- CARE
*Out of Rs. 1000 crores raised in August 2009, Rs.450 crores has been reckoned as Tier I Capital by the Bank (as per RBI instructions). Apart from SBI, the following Associate Banks of SBI have raised Innovative Perpetual Debt Instruments aggregating Rs.1710 crores; SBBi Rs.200.00 crores; SBH Rs.485 crores; SBIn Rs.165 crores; SBM Rs.260 crores, SBP Rs.300 crores and SBT Rs.300 crores.					
Upper Tier II Subordinated Debt	<p><b>Type of Instrument:</b> Unsecured, Redeemable Non-convertible, Upper Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes.</p> <p><b>Special features:</b></p> <p>i) No Put Option by the Investors.</p> <p>ii) Call Option by the Bank after 10 years.</p> <p>iii) <b>Step-up Option:</b> If the Bank does not exercise Call Option after 10 years, the Bonds carry a step-up-option of 50 bps during an extended period of 5 years.</p> <p>iv) <b>Lock-in-Clause:</b> Bank shall not be liable to pay either periodic interest on principal or even principal at maturity, if CAR of the Bank is below the minimum regulatory CAR prescribed by RBI. However, this will not preclude the Bank from making periodic interest, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CAR, at the material time.</p>				





जारी करने की तारीख	राशि (रुपये करोड़ में)	अवधि (माह)	कूपन (प्रतिवर्ष % वार्षिक रूप से देय)	रेटिंग
05.06.06	2328	180	8.80%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
06.07.06	500	180	9.00%	एएए-क्रिसिल
12.09.06	600	180	8.96%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
13.09.06	615	180	8.97%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
15.09.06	1500	180	8.98%	एएए-क्रिसिल
04.10.06	400	180	8.85%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
16.10.06	1000	180	8.88%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
17.02.07	1000	180	9.37%	एएए-क्रिसिल
07.06.07	2523	180	10.20%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
12.09.07	3500	180	10.10%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
19.12.08	2500	180	8.90%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
02.03.09	2000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
06.03.09	1000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, उसकी निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने श्रेणी-II के बाण्डों के रूप में कुल रु. 5341.60 करोड़ की पूंजी जुटाई है: एसबीबीजे रु. 450.00 करोड़; एसबीएच रु. 1750 करोड़; एसबी ईवीर रु. 550 करोड़; एसबीएम रु. 640 करोड़; एसबीपी रु. 1451.60 करोड़ और एसबीटी रु. 500 करोड़।

**न्यून श्रेणी II गौण ऋण**

**लिखत का प्रकार :** गैर जमानती, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन पत्र के रूप में उच्च श्रेणी II गौण बांड ।

**विशेषताएं :**

I) क्रय अथवा विक्रय जैसी विशेष सुविधाओं से रहित बिल्कुल सादे बांड ।

II) भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा ।

जारी करने की तारीख	राशि (रु. करोड़ में)	अवधि (माह)	कूपन (% प्रति वर्ष वार्षिक अवधि में देय)	रेटिंग
05.12.05	3283	113	7.45%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
09.03.06	200	111	8.15%	एलएएए-आइसीआरए एएए-केयर
28.03.07	1500	111	9.85%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
31.03.07	225	111	9.80%	एलएएए-आइसीआरए एएए-केयर
29.12.08	1500	114	8.40%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
06.03.09	1000	111	8.95%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, उसके निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने न्यूनतर श्रेणी-II बाण्डों के रूप में पूंजी जुटाई है :

1) देश में स्थित सहयोगी बैंकिंग अनुष्ठानों ने कुल रु. 4655 करोड़ के बांड जुटाए (रु. 4441 करोड़ टियर-II पूंजी निधियों के रूप में शामिल किए गए); एसबीबीजे रु. 1000 करोड़; एसबीएच रु. 1210 करोड़; एसबी ईवीर रु. 450 करोड़; एसबीएम रु. 425 करोड़; एसबीपी रु. 750 करोड़ और एसबीटी रु. 820 करोड़।

2) देश में स्थित गैर बैंकिंग अनुष्ठानों ने कुल रु. 286.05 करोड़ के बांड जुटाए (रु. 225.37 करोड़ टियर-II पूंजी निधियों के रूप में शामिल किए गए हैं)

3) विदेश स्थित अनुष्ठानों में नेपाल एसबीआई बैंक लि. के कुल रु. 12.50 करोड़ के बांड जुटाए (रु. 7.50 करोड़ टियर-II पूंजी निधियों के रूप में शामिल किए गए) ।

**मात्रात्मक प्रकटन**

(रु. करोड़ में)

ख)	श्रेणी-I पूंजी	81261
	• चुकता शेयर पूंजी	635
	• आरक्षित निधियाँ	80983
	• नवोन्मेषी लिखत	5966
	• अन्य पूंजी लिखत	0
	• श्रेणी-I पूंजी से घटाई गई राशि गुडविल और निवेशों सहित	6323
(ग)	कुल राशि श्रेणी-II पूंजी (टियर-II पूंजी में से कटौतियाँ घटाकर)	38205
(घ)	उच्च श्रेणी-II पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण पूंजी लिखत:	
	• कुल बकाया राशि	24808
	• चालू वर्ष में जुटाई गई	1250
	• पूंजी निधियों के रूप में शामिल करने योग्य राशि	24808
(ङ)	निम्न श्रेणी 2 पूंजी में शामिल करने योग्य गौण ऋण	
	• कुल बकाया राशि	12662
	• चालू वर्ष में जुटाई गई	0
	• पूंजी निधियों के रूप में शामिल करने योग्य राशि	12376
(च)	पूंजी में अन्य कटौतियाँ यदि कोई हों	3
(छ)	कुल पात्र पूंजी	119466







Date of Issue	Amount (Rs. crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.06.06	2328	180	8.80%	AAA-CRISIL AAA-CARE
06.07.06	500	180	9.00%	AAA-CRISIL
12.09.06	600	180	8.96%	AAA-CRISIL AAA-CARE
13.09.06	615	180	8.97%	AAA-CRISIL AAA-CARE
15.09.06	1500	180	8.98%	AAA-CRISIL
04.10.06	400	180	8.85%	AAA-CRISIL AAA-CARE
16.10.06	1000	180	8.88%	AAA-CRISIL AAA-CARE
17.02.07	1000	180	9.37%	AAA-CRISIL
07.06.07	2523	180	10.20%	AAA-CRISIL AAA-CARE
12.09.07	3500	180	10.10%	AAA-CRISIL AAA-CARE
19.12.08	2500	180	8.90%	AAA-CRISIL AAA-CARE
02.03.09	2000	180	9.15%	AAA-CRISIL AAA-CARE
06.03.09	1000	180	9.15%	AAA-CRISIL AAA-CARE

Apart from SBI, the following Associate Banks of SBI have raised Upper Tier II bonds aggregating to Rs.5341.60 crores which are reckoned as Tier II Capital Funds: SBBJ Rs.450.00 crores; SBH Rs.1750 crores; SBlN Rs.550 crores; SBM Rs.640 crores; SBP Rs.1451.60 crores and SBT Rs.500 crores.

Lower Tier II Sub - Debt	<b>Type of Instrument:</b> Unsecured, Redeemable Non-convertible, Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes.				
	<b>Special features:</b>				
	I) Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc.				
	II) Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.				
	Date of Issue	Amount (Rs. crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
	05.12.05	3283	113	7.45%	AAA-CRISIL AAA CARE
	09.03.06	200	111	8.15%	LAAA-ICRA AAA CARE
	28.03.07	1500	111	9.85%	AAA-CRISIL AAA CARE
31.03.07	225	111	9.80%	LAAA-ICRA AAA CARE	
27.12.08	1500	114	8.40%	AAA-CRISIL AAA-CARE	
06.03.09	1000	111	8.95%	AAA-CRISIL AAA-CARE	
Apart from SBI, the following Subsidiaries have raised Capital Funds by way of Lower Tier II:					
1) Domestic Associate Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to Rs.4655 crores (Rs.4441 crores are reckoned as Tier II Capital Funds): SBBJ Rs.1000.00 crores; SBH Rs.1210 crores; SBlN Rs.450 crores; SBM Rs.425 crores; SBP Rs.750 crores and SBT Rs.820 crores.					
2) Domestic Non Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to Rs.286.85 crores (Rs.225.37 crores are reckoned as Tier II Capital Funds): SBI Global Factors Ltd Rs. 162.05 crores and SBI Cards Rs. 124.8 crores.					
3) Among the Foreign Subsidiaries, Nepal SBI Bank Ltd has raised bonds aggregating Rs.12.50 crores (Rs.7.50 crores are reckoned as Tier II Capital Funds)					

#### Quantitative Disclosures

(Rs in crores)

(b)	Tier-I Capital	81261
	• Paid-up Share Capital	635
	• Reserves	80983
	• Innovative Instruments	5966
	• Other Capital Instruments	0
	• Amt deducted from Tier-I Cap including Goodwill and investments	6323
(c)	The total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier II Capital)	38205
(d)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital	
	• Total amount outstanding	24808
	• Of which raised during Current Year	1250
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	24808
(e)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital:	
	• Total amount outstanding	12662
	• Of which raised during Current Year	0
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	12376
(f)	Other Deductions from Capital if any	3
(g)	Total Eligible Capital	119466





**तालिका डीएफ-3 :**  
**पूँजी संरचना :**

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

<p>(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूँजी पर्याप्तता के निर्धारण की बैंक की पद्धति पर चर्चा का सारांश</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्रिम राशियों, अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि तथा बेसल-II आदि के लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है।</li> <li>3 वर्ष से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9% की पूँजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूँजी बनाए रखने और गौण ऋण तथा ईक्विटी के अलावा संमिश्र लिखत जैसे माध्यम से अपने पूँजी संसाधन को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाने के लिए बैंक के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं।</li> <li>भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान इनोवेटिव परपेचुअल डैट इश्योरेंस (आईपीडीआई) के रूप में रु. 2000 करोड़ जुटाए. (इसमें रु. 1450 करोड़ टिअर - I पूँजी के रूप में शामिल की गई है)</li> <li>बैंक ने आईसीएपी नीति लागू की है जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है जिससे आर्थिक पूँजी का निर्वाह किया जा सकता है और इससे पूँजी जोखिम को पर्याप्त रूप से कम किया जा सकेगा।</li> </ul>																																																
<p><b>मात्रात्मक प्रकटीकरण</b> (ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो</li> <li>निवेश का प्रतिभूतिकरण</li> </ul>	<p>➡ निधि आधारित: रु. 71,539 करोड़</p> <p>➡ शून्य</p> <p><b>कुल रु. 71,539 करोड़</b></p>																																																
<p>(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता (* मानक अवधि पद्धति)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ब्याज दर जोखिम (जिसमें डेरीवेटिव्स शामिल हैं)</li> <li>विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल हैं)</li> <li>ईक्विटी जोखिम</li> </ul>	<p>➡ रु. 2,442 करोड़</p> <p>➡ रु. 116 करोड़</p> <p>➡ रु. 2,510 करोड़</p> <p><b>कुल रु. 5,068 करोड़</b></p>																																																
<p>(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मूल संकेतक पद्धति</li> </ul>	<p>➡ रु. 5,541 करोड़</p> <p><b>कुल रु. 5,541 करोड़</b></p>																																																
<p>(ङ) योग और श्रेणी-I पूँजी का अनुपात:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा</li> <li>बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (स्टैंड एलोन)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>दिनांक 31.03.2010 को पूँजी पर्याप्तता अनुपात</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%;">श्रेणी I (%)</th> <th style="width: 15%;">योग (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>भारतीय स्टेट बैंक</td><td>9.45</td><td>13.39</td></tr> <tr><td>एसबीआई समूह</td><td>9.28</td><td>13.49</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर</td><td>8.35</td><td>13.30</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ हैदराबाद</td><td>8.64</td><td>14.90</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ इंदौर</td><td>8.58</td><td>13.53</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ मैसूर</td><td>7.59</td><td>12.42</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ पटियाला</td><td>8.16</td><td>13.26</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर</td><td>9.24</td><td>13.74</td></tr> <tr><td>एसबीआईसीआई बैंक लि.</td><td>26.60</td><td>27.31</td></tr> <tr><td>एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.</td><td>12.23</td><td>12.75</td></tr> <tr><td>भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)</td><td>27.55</td><td>28.56</td></tr> <tr><td>भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)</td><td>12.95</td><td>14.20</td></tr> <tr><td>कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को</td><td>33.02</td><td>33.02</td></tr> <tr><td>पीटी बैंक इंडो मॉनेक्स, इंडोनेशिया</td><td>26.64</td><td>27.51</td></tr> <tr><td>नेपाल एसबीआई बैंक लि.</td><td>10.55</td><td>11.99</td></tr> </tbody> </table>		श्रेणी I (%)	योग (%)	भारतीय स्टेट बैंक	9.45	13.39	एसबीआई समूह	9.28	13.49	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	8.35	13.30	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.64	14.90	स्टेट बैंक आफ इंदौर	8.58	13.53	स्टेट बैंक आफ मैसूर	7.59	12.42	स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.16	13.26	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	9.24	13.74	एसबीआईसीआई बैंक लि.	26.60	27.31	एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.	12.23	12.75	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	27.55	28.56	भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	12.95	14.20	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	33.02	33.02	पीटी बैंक इंडो मॉनेक्स, इंडोनेशिया	26.64	27.51	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	10.55	11.99
	श्रेणी I (%)	योग (%)																																															
भारतीय स्टेट बैंक	9.45	13.39																																															
एसबीआई समूह	9.28	13.49																																															
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	8.35	13.30																																															
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.64	14.90																																															
स्टेट बैंक आफ इंदौर	8.58	13.53																																															
स्टेट बैंक आफ मैसूर	7.59	12.42																																															
स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.16	13.26																																															
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	9.24	13.74																																															
एसबीआईसीआई बैंक लि.	26.60	27.31																																															
एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.	12.23	12.75																																															
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	27.55	28.56																																															
भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	12.95	14.20																																															
कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	33.02	33.02																																															
पीटी बैंक इंडो मॉनेक्स, इंडोनेशिया	26.64	27.51																																															
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	10.55	11.99																																															





**TABLE DF-3 :  
CAPITAL STRUCTURE :**

**Qualitative Disclosures**

<p>(a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensitivity Analysis is conducted annually or more frequently as required, on the movement of Capital Adequacy Ratio (CAR) in the medium horizon of 3 to 5 years, considering the projected growth in Advances, investment in Subsidiaries/Joint Ventures and the impact of Basel II Framework etc by State Bank of India and its Subsidiaries (Domestic/Foreign).</li> <li>• CRAR of the Bank and for the Group as a whole is estimated to be well above the Regulatory CAR of 9% in the medium horizon of 3 to 5 years. However, to maintain adequate capital, the Bank has ample options to augment its capital resources by raising Subordinated Debt and Hybrid Instruments, besides Equity as and when required.</li> <li>• State Bank of India has raised Rs. 2000 crores in the form of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDIs) during FY: 09-10 (of which Rs.1450 crores is reckoned as Tier I Capital).</li> <li>• The Bank and its Banking Subsidiaries have put in place the ICAAP Policy and the same is being reviewed on a yearly basis which would enable to maintain Economic Capital, thereby reducing substantial Capital Risk.</li> </ul>																																																
<p><b>Quantitative Disclosures</b> (b) Capital requirements for Credit Risk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portfolios subject to Standardized Approach</li> <li>• Securitization Exposures</li> </ul>	<p align="center">Rs. 71,539 crores</p> <p>⇒ Nil</p> <p>.....</p> <p><b>Total Rs. 71,539 crores</b></p>																																																
<p>(c) Capital requirements for Market Risk (* Standardized duration approach)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interest Rate Risk</li> <li>• Foreign Exchange Risk (including gold)</li> <li>• Equity Risk</li> </ul>	<p>⇒ Rs. 2,442 crores</p> <p>⇒ Rs. 116 crores</p> <p>⇒ Rs. 2,510 crores</p> <p>.....</p> <p><b>Total Rs. 5,068 crores</b></p>																																																
<p>(d) Capital requirements for Operational Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basic Indicator Approach</li> </ul>	<p>⇒ Rs. 5,541 crores</p> <p>.....</p> <p><b>Total Rs. 5,541 crores</b></p>																																																
<p>(e) Total and Tier I capital ratio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For the top consolidated group; and</li> <li>• For significant bank subsidiaries (stand alone)</li> </ul>	<p align="center"><b>CAPITAL ADEQUACY RATIO AS ON 31.03.2010</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tier I (%)</th> <th>Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>State Bank of India</td><td>9.45</td><td>13.39</td></tr> <tr><td>SBI Group</td><td>9.28</td><td>13.49</td></tr> <tr><td>State Bank of Bikaner &amp; Jaipur</td><td>8.35</td><td>13.30</td></tr> <tr><td>State Bank of Hyderabad</td><td>8.64</td><td>14.90</td></tr> <tr><td>State Bank of Indore</td><td>8.58</td><td>13.53</td></tr> <tr><td>State Bank of Mysore</td><td>7.59</td><td>12.42</td></tr> <tr><td>State Bank of Patiala</td><td>8.16</td><td>13.26</td></tr> <tr><td>State Bank of Travancore</td><td>9.24</td><td>13.74</td></tr> <tr><td>SBICI Bank Ltd.</td><td>26.60</td><td>27.31</td></tr> <tr><td>SBI International (Maritius) Ltd.</td><td>12.23</td><td>12.75</td></tr> <tr><td>State Bank of India (Canada)</td><td>27.55</td><td>28.56</td></tr> <tr><td>State Bank of India (California)</td><td>12.95</td><td>14.20</td></tr> <tr><td>Commercial Bank of India LLC Moscow</td><td>33.02</td><td>33.02</td></tr> <tr><td>PT Bank SBI Indonesia</td><td>26.64</td><td>27.51</td></tr> <tr><td>Nepal SBI Bank Ltd.</td><td>10.55</td><td>11.99</td></tr> </tbody> </table>		Tier I (%)	Total (%)	State Bank of India	9.45	13.39	SBI Group	9.28	13.49	State Bank of Bikaner & Jaipur	8.35	13.30	State Bank of Hyderabad	8.64	14.90	State Bank of Indore	8.58	13.53	State Bank of Mysore	7.59	12.42	State Bank of Patiala	8.16	13.26	State Bank of Travancore	9.24	13.74	SBICI Bank Ltd.	26.60	27.31	SBI International (Maritius) Ltd.	12.23	12.75	State Bank of India (Canada)	27.55	28.56	State Bank of India (California)	12.95	14.20	Commercial Bank of India LLC Moscow	33.02	33.02	PT Bank SBI Indonesia	26.64	27.51	Nepal SBI Bank Ltd.	10.55	11.99
	Tier I (%)	Total (%)																																															
State Bank of India	9.45	13.39																																															
SBI Group	9.28	13.49																																															
State Bank of Bikaner & Jaipur	8.35	13.30																																															
State Bank of Hyderabad	8.64	14.90																																															
State Bank of Indore	8.58	13.53																																															
State Bank of Mysore	7.59	12.42																																															
State Bank of Patiala	8.16	13.26																																															
State Bank of Travancore	9.24	13.74																																															
SBICI Bank Ltd.	26.60	27.31																																															
SBI International (Maritius) Ltd.	12.23	12.75																																															
State Bank of India (Canada)	27.55	28.56																																															
State Bank of India (California)	12.95	14.20																																															
Commercial Bank of India LLC Moscow	33.02	33.02																																															
PT Bank SBI Indonesia	26.64	27.51																																															
Nepal SBI Bank Ltd.	10.55	11.99																																															





तालिका डी एफ - 4 ऋण जोखिम:  
सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

• पिछले बकायों और अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

**अलाभकारी आस्तियाँ**

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अलाभकारी आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अलाभकारी आस्ति (एनपीए) माना जाता है जहाँ :

- (i) किसी भी मीयादी ऋण के ब्याज और अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।
- (ii) किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है।
- (iii) खरीदे गए बिल और भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है।
- (iv) अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।
- (v) अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है तथा दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है।
- (vi) कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर अदा नहीं कर दिया जाता।

**'अनियमित' श्रेणी**

कोई ऐसी स्थिति में 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया शेष निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहता है।

ऐसे मामलों में जहाँ मूल परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है किंतु बैंक के तुलन पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की गई है अथवा उस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा नहीं है तो ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

**'अतिदेय'**

किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' मानी जाती है यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को अदा नहीं की गई है।

• बैंक की ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति की चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति लागू है जिसकी समीक्षा बैंक द्वारा समय समय पर की जाती है। इस संदर्भ में विगत कुछ वर्षों में विकसित धारणाओं और वास्तविक अनुभव के परिणामस्वरूप ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति एवं कार्यविधियों में सुधार किए गए हैं। बेसल-II समझौते में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप प्रणाली एवं कार्यविधियों को सम्मिलित किया गया है।

ऋण जोखिम-प्रबंधन में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, आकलन, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।

ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

- (i) 'ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रणाली' के प्रतिमानों को विकसित करना और उनमें सुधार लाना जिससे कि प्रतिरूपी जोखिम का निर्धारण, विभिन्न जोखिम जिन्हें मुख्य रूप में वित्तीय, औद्योगिक तथा प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक का अलग अलग स्कोर दिया जाता है, के आधार पर किया जा सके।
- (ii) औद्योगिक अनुसंधान का कार्य करना जिससे कि विशिष्ट नीति तैयार की जा सके तथा बड़े महत्वपूर्ण औद्योगिक संविभागों को संभालने के लिए समय समय पर उद्योगों/खंडों के सामान्य दृष्टिकोण पर सलाह जारी करना जिससे कि मात्रात्मक निवेश मानदंड स्थापित किए जा सकें।

ऋण जोखिम के निर्धारण में निवेश की सीमा स्थापित करना शामिल है जिससे कि कंपनियों, सामूहिक कंपनियों, उद्योगों, संपार्श्विक तथा भौगोलिक प्रकार के आयामों के लिए विविध संविभाग तैयार किए जा सकें। बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा ऋण जोखिम के केन्द्रीकरण से बचने के लिए वैयक्तिक कंपनियों, सामूहिक कंपनियों, बैंकों, वैयक्तिक उधारकर्ताओं, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्र जैसे पूंजी बाजार, स्थावर संपदा, संवेदनशील वस्तुओं आदि के विवेकपूर्ण निवेश मानदंडों पर आंतरिक दिशा निर्देश लागू हैं।

बैंक के पास एक ऐसी ऋण नीति भी है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविभाग के अंतर्गत वैयक्तिक परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में अत्यधिक गिरावट न हो। इसके साथ-साथ इसका उद्देश्य ऋण के मूल सिद्धांतों, मूल्यांकन कौशल, प्रलेखीकरण मानकों तथा संस्थागत चिंताओं तथा उद्देश्यों के दृष्टिकोण में एकरूपता स्थापित करते हुए लचीले एवं नवोन्मेषी उपायों के लिए पर्याप्त संभावना रखते हुए संविभाग-स्तर पर कुल परिसंपत्तियों के स्तर में सुधार लाना है।

ऋण जोखिम के विविध आयामों जैसे मूल्यांकन, कीमत निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग तथा निगरानी, समीक्षा तथा ऋण सुविधाओं के नवीकरण, ऋण संबंधी समस्याओं का प्रबंधन, ऋण की निगरानी आदि के लिए बैंक के पास प्रक्रियाएं और नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध हैं।





**TABLE DF-4 : CREDIT RISK:  
GENERAL DISCLOSURES**

**Qualitative Disclosures**

• **Definitions of past due and impaired assets (for accounting purposes)**

**Non-performing assets**

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank. As from 31st March 2006, a non-performing Asset (NPA) is an advance where

- (i) Interest and/or installment of principal remain 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- (ii) The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- (iii) The bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted
- (iv) Any amount to be received remains 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of other accounts
- (v) A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons and a loan granted for long duration crops is treated as NPA, if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season
- (vi) An account would be classified as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

**'Out of Order' status**

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.

In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Bank's Balance Sheet, or where credits are not enough to cover the interest debited during the same period, such accounts are treated as 'out of order'.

**'Overdue'**

Any amount due to the Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

• **Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy**

The Bank has a Credit Risk Management Policy in place which is reviewed annually. Over the years, the policy & procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel-II Guidelines.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the following functions are undertaken :

- (i) Developing and refining the Credit Risk Assessment (CRA) Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industrial and Management Risks, each of which is scored separately.
- (ii) Conducting industry research to give specific policy prescriptions and setting quantitative exposure parameters for handling portfolio in large / important industries, by issuing advisories on the general outlook for the Industries / Sectors, from time to time.

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type, and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place.

The Bank has also a Loan Policy which aims at ensuring that there is no undue deterioration in quality of individual assets within the portfolio. Simultaneously, it also aims at continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio level, by establishing a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies, while leaving enough room for flexibility and innovation.

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, management of problem loans, credit monitoring, etc.





तालिका डीएफ-4  
ऋण जोखिम - मात्रात्मक प्रकटीकरण  
31.03.2010 के आंकड़े

मात्रात्मक प्रकटीकरण:	राशि करोड़ रुपये में		
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
(क) कुल सकल ऋण जोखिम राशि	934724.39	306794.42	1241518.81
(ख) ऋण जोखिम राशि का भौगोलिक वितरण: निधि आधारित/गैर निधि आधारित			
विदेशी	106633.12	13949.34	120582.46
देशी	828091.27	292845.08	1120936.35
(ग) ऋण जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर निधि आधारित अलग अलग	कृपया तालिका 'क' देखें		
(घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया तालिका 'ख' देखें		
(ङ) अर्थात् आस्तियों की राशि (सकल योग (i से v))	24897.74		
i) अवमानक	11282.67		
ii) संदिग्ध 1	9489.85		
iii) संदिग्ध 2	892.23		
iv) संदिग्ध 3	259.15		
v) हानिप्रद	2973.84		
(च) निवल अनर्जक आस्तियाँ	13782.97		
(छ) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रियों में सकल अनर्जक आस्तियाँ	2.01%		
ii) निवल अग्रियों में निवल अनर्जक आस्तियाँ	1.12%		
(ज) अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ (सकल)			
i) अथशेष	19042.10		
ii) परिवर्धन	16387.62		
iii) कटौतियाँ	10531.98		
iv) इतिशेष	24897.74		
(झ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशेष	7749.11		
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	7176.40		
iii) बट्टा खाता डालना	2685.47		
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	1125.27		
v) इतिशेष	11114.77		
(ञ) अनर्जक निवेशों की राशि	477.14		
(ट) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि	466.61		
(ठ) निवेशों पर ह्रास के संबंध में प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशेष	2230.08		
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	492.78		
iii) बट्टा खाता डालना	233.22		
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	211.77		
v) इतिशेष	2277.87		

तालिका - क  
31.03.2010 को उद्योग के प्रकार के अनुसार ऋण जोखिम का वितरण  
(राशि करोड़ रुपये में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित [बकाया]			गैर-निधि आधारित [बकाया]
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	2769.84	16.12	2785.96	476.71
2	खनन	5874.29	57.00	5931.29	1565.51
3	लोह एवं इस्पात	46798.76	1026.78	47825.54	21976.08
4	धातु उत्पाद	8649.41	364.53	9013.94	3506.47
5	सभी अभियांत्रिकी	21490.86	580.67	22071.53	25726.66
5.1	इसमें इलेक्ट्रॉनिक संबंधी	6273.74	152.54	6426.28	3799.69
6	बिजली	8136.02	10.18	8146.20	7268.22
7	कपड़ा उद्योग	22598.57	570.03	23168.60	2017.55
8	जूट वस्त्र	307.55	24.57	332.12	31.20
9	अन्य वस्त्र	17520.92	1124.80	18645.72	2076.12
10	शक्कर	7296.74	22.35	7319.09	1192.55
11	चाय	333.25	92.25	425.50	115.20
12	खाद्य प्रसंस्करण	15871.26	590.65	16461.91	590.65
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	4777.35	169.42	4946.77	1547.48
14	तम्बाकू / तम्बाकू उत्पाद	618.77	8.50	627.27	76.92
15	कागज /कागज उत्पाद	5143.26	326.34	5469.60	692.31
16	रबड़/ रबड़ उत्पाद	2934.69	159.21	3093.90	1111.78
17	रसायन/ रंगाई/ रंग आदि	24499.22	498.13	24997.35	5590.84
17.1	इसमें उर्वरक	4189.03	47.59	4236.62	2013.16
17.2	इसमें पेट्रोरसायन	4412.08	69.62	4481.70	1700.76
17.3	इसमें दवाइयाँ एवं औषधियाँ	10365.08	261.91	10626.99	1424.55
18	सीमेंट	6530.53	23.53	6554.06	1420.14
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1893.45	34.10	1927.55	592.43
20	रत्न एवं आभूषण	11085.06	530.22	11615.28	1833.07
21	निर्माण	11057.82	779.67	11837.49	3575.33
22	पेट्रोलियम	31278.72	64.82	31343.54	29194.92
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	8267.97	275.36	8543.33	450.18
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2208.76	1069.77	3278.53	50.32
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	63438.33	630.82	64069.15	18969.25
25.1	इसमें पॉवर	21877.94	222.58	22100.52	7988.13
25.2	इसमें दूर संचार	11714.61	173.78	11888.39	1015.53
25.3	इसमें सड़क और बंदरगाह	15423.04	178.39	15601.43	6426.88
26	अन्य उद्योग	121953.57	2115.21	124068.78	23581.48
27	एन बी एफ सी और ट्रेडिंग	173657.06	3562.75	177219.81	14820.30
28	शेष सकल अग्रियों में अवशिष्ट अग्रिम	282834.62	10169.96	293004.58	136744.75
	कुल	909826.65	24897.74	934724.39	306794.42





**Table DF-4 :**  
**Credit Risk - Quantitative Disclosures**  
**Data as on 31.03.2010**

General Disclosures:	Amount in Rs. crores		
	Fund Based	Non Fund Based	Total
(a) Total Gross Credit Risk Exposures	934724.39	306794.42	1241518.81
(b) Geographic Distribution of Exposures : FB / NFB			
Overseas	106633.12	13949.34	120582.46
Domestic	828091.27	292845.08	1120936.35
(c) Industry type Distribution of Exposures Fund based / Non Fund Based separately	Please refer to Table "A"		
(d) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets	Please refer to Table "B"		
(e) Amount of NPAs (Gross) i.e. SUM f (i to v)		24897.74	
i) Substandard		11282.67	
ii) Doubtful 1		9489.85	
iii) Doubtful 2		892.23	
iv) Doubtful 3		259.15	
v) Loss		2973.84	
(f) Net NPAs		13782.97	
(g) NPA Ratios			
i) Gross NPAs to gross advances		2.01%	
ii) Net NPAs to net advances		1.12%	
(h) Movement of NPAs (Gross)			
i) Opening balance		19042.10	
ii) Additions		16387.62	
iii) Reductions		10531.98	
iv) Closing balance		24897.74	
(i) Movement of Provisions for NPAs			
i) Opening balance		7749.11	
ii) Provisions made during the period		7176.40	
iii) Write-off		2685.47	
iv) Write-back of excess provisions		1125.27	
v) Closing balance		11114.77	
(j) Amount of Non-Performing Investments		477.14	
(k) Amount of Provisions held for Non-Performing Investments		466.61	
(l) Movement of Provisions for Depreciation on Investments			
i) Opening balance		2230.08	
ii) Provisions made during the period		492.78	
iii) Write-off		233.22	
iv) Write-back of excess provisions		211.77	
v) Closing balance		2277.87	

**Table-A**  
**Industry Type Distribution of Exposures as on 31.03.2010**  
**(Amount in Rs. crores)**

CODE	INDUSTRY	FUND BASED [Outstandings-(O/s)]			NON-FUND BASED(O/s)
		Standard	NPA	Total	
1	Coal	2769.84	16.12	2785.96	476.71
2	Mining	5874.29	57.00	5931.29	1565.51
3	Iron & Steel	46798.76	1026.78	47825.54	21976.08
4	Metal Products	8649.41	364.53	9013.94	3506.47
5	All Engineering	21490.86	580.67	22071.53	25726.66
5.1	Of which Electronics	6273.74	152.54	6426.28	3799.69
6	Electricity	8136.02	10.18	8146.20	7268.22
7	Cotton Textiles	22598.57	570.03	23168.60	2017.55
8	Jute Textiles	307.55	24.57	332.12	31.20
9	Other Textiles	17520.92	1124.80	18645.72	2076.12
10	Sugar	7296.74	22.35	7319.09	1192.55
11	Tea	333.25	92.25	425.50	115.20
12	Food Processing	15871.26	590.65	16461.91	590.65
13	Vegetable Oils & Vanaspati	4777.35	169.42	4946.77	1547.48
14	Tobacco / Tobacco Products	618.77	8.50	627.27	76.92
15	Paper / Paper Products	5143.26	326.34	5469.60	692.31
16	Rubber / Rubber Products	2934.69	159.21	3093.90	1111.78
17	Chemicals / Dyes / Paints etc.	24499.22	498.13	24997.35	5590.84
17.1	Of which Fertilizers	4189.03	47.59	4236.62	2013.16
17.2	Of which Petrochemicals	4412.08	69.62	4481.70	1700.76
17.3	Of which Drugs & Pharmaceuticals	10365.08	261.91	10626.99	1424.55
18	Cement	6530.53	23.53	6554.06	1420.14
19	Leather & Leather Products	1893.45	34.10	1927.55	592.43
20	Gems & Jewellery	11085.06	530.22	11615.28	1833.07
21	Construction	11057.82	779.67	11837.49	3575.33
22	Petroleum	31278.72	64.82	31343.54	29194.92
23	Automobiles & Trucks	8267.97	275.36	8543.33	450.18
24	Computer Software	2208.76	1069.77	3278.53	50.32
25	Infrastructure	63438.33	630.82	64069.15	18969.25
25.1	Of which Power	21877.94	222.58	22100.52	7988.13
25.2	Of which Telecommunication	11714.61	173.78	11888.39	1015.53
25.3	Of which Roads & Ports	15423.04	178.39	15601.43	6426.88
26	Other Industries	121953.57	2115.21	124068.78	23581.48
27	NBFCs & Trading	173657.06	3562.75	177219.81	14820.30
28	Res. Adv to bal. Gross Advances	282834.62	10169.96	293004.58	136744.75
	<b>Total</b>	<b>909826.65</b>	<b>24897.74</b>	<b>934724.39</b>	<b>306794.42</b>





तालिका-ख

डीएफ-4 (ड) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) आस्तियों का दिनांक 31.03.2010 को अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण

(रु. करोड़ में)

	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक किंतु 6 माह तक	6 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1 नकदी	8887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8887.79
2 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	16023.88	1292.90	2481.73	3656.74	5773.11	16728.37	8414.79	20258.59	74630.11
3 अन्य बैंकों के पास जमाशेष	15154.71	1684.94	2918.00	8718.07	12521.17	2651.95	0.00	0.07	43648.91
4 निवेश	5034.28	3649.64	15347.39	12384.88	11690.35	64734.86	73169.42	193360.51	379371.33
5 अग्रिम	107509.75	13327.87	53085.75	52211.89	59091.47	359288.94	85475.02	128083.77	858074.46
6 अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6405.88	6405.88
7 अन्य आस्तियां	17810.84	5680.58	6221.78	6554.49	8695.93	4266.24	43.29	10856.27	60129.42
<b>कुल</b>	<b>170421.25</b>	<b>25635.93</b>	<b>80054.65</b>	<b>83526.07</b>	<b>97772.03</b>	<b>447670.36</b>	<b>167102.52</b>	<b>358965.09</b>	<b>1431147.90</b>

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम :  
मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों हेतु प्रकटन

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

- प्रयुक्त रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में परिवर्तनों के कारण भी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए केयर, क्रिसिल, आइसीआरए एवं फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) एवं फिच, मूडीज़ एवं एस एंड पी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में क्रमशः चयन किया है जिनकी रेटिंगों का पूंजी परिकलन के लिए प्रयोग किया गया।
- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गयी
  - (i) एक वर्ष से कम अथवा समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।
  - (ii) देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए एवं 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।
  - (iii) विदेशी ऋण जोखिमों के लिए, संविदात्मक परिपक्वता का विचार किए बिना, अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।
- पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी- ग्राहक / प्रतिपक्ष की अन्य अनरेटिड एकस्पोजर्स के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी- ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई:
  - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एकस्पोजर्स के समतुल्य या अधिक हैं तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
  - उन मामलों में जहां ऋणी- ग्राहक/ प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एकस्पोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एकस्पोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

(ख) 31-3-2010 को गुणात्मक प्रकटीकरण	(राशि करोड़ रुपये में)
मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए प्रत्येक जोखिम समूह और कटौती की गई जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	100% जोखिम भार से नीचे : रु. 752166.40 100% जोखिम भार : रु. 378593.99 100% से अधिक : रु. 104875.77 कटौती की : रु. 5882.65
	<b>योग : रु. 1241518.81</b>

तालिका डीएफ-6 ऋण जोखिम  
न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के लिए प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है, जिसमें पूंजी - परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किए जा सकें। इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है :
  - (i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
  - (ii) स्वीकार्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदें
  - (iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
  - (iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
  - (v) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
  - (vi) बीमा
  - (vii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी





**Table-B**DF-4 (e) SBI (CONSOLIDATED) Residual contractual maturity breakdown of assets as on 31.03.2010  
(Rupees in crores)

	1-14 days	15-28 days	29 days & up to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & upto 3 years	Over 3 years & upto 5 years	Over 5 years	Total
1 Cash	8887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8887.79
2 Balances with RBI	16023.88	1292.90	2481.73	3656.74	5773.11	16728.37	8414.79	20258.59	74630.11
3 Balances with other Banks	15154.71	1684.94	2918.00	8718.07	12521.17	2651.95	0.00	0.07	43648.91
4 Investments	5034.28	3649.64	15347.39	12384.88	11690.35	64734.86	73169.42	193360.51	379371.33
5 Advances	107509.75	13327.87	53085.75	52211.89	59091.47	359288.94	85475.02	128083.77	858074.46
6 Fixed Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6405.88	6405.88
7 Other Assets	17810.84	5680.58	6221.78	6554.49	8695.93	4266.24	43.29	10856.27	60129.42
<b>TOTAL</b>	<b>170421.25</b>	<b>25635.93</b>	<b>80054.65</b>	<b>83526.07</b>	<b>97772.03</b>	<b>447670.36</b>	<b>167102.52</b>	<b>358965.09</b>	<b>1431147.90</b>

**TABLE DF-5 : CREDIT RISK:****DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO STANDARDISED APPROACH****(a) Qualitative Disclosures**

- Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes  
As per RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA and FITCH India (Domestic Credit Rating Agencies) and FITCH, Moody's and S&P (International Rating Agencies) as approved Rating Agencies, for the purpose of rating Domestic and Overseas Exposures, respectively, whose ratings are used for the purpose of computing Risk-weighted Assets and Capital Charge.
- Types of exposures for which each Agency is used**
  - For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings given by approved Rating Agencies are used.
  - For Domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings are used.
  - For Overseas Exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Ratings given by approved Rating Agencies are used.
- Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book**  
Long-term Issue Specific Ratings (For the Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower-constituent/counter-party) or Issuer (borrower-constituents/counter-party) Ratings are applied to other unrated exposures of the same borrower-constituent/counter-party in the following cases :
  - If the Issue Specific Rating or Issuer Rating maps to Risk Weight equal to or higher than the unrated exposures, any other unrated exposure on the same counter-party is assigned the same Risk Weight, if the exposure ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.
  - In cases where the borrower-constituent/counter-party has issued a debt (which is not a borrowing from the Bank), the rating given to that debt is applied to the Bank's unrated exposures, if the Bank's exposure ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of unrated Bank's exposure is not later than the maturity of the rated debt.

b) Quantitative Disclosures as on 31.03.2010	(Amount in Rupee crores)
For exposure amounts after risk mitigation subject to the Standardised Approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in each risk bucket as well as those that are deducted	Below 100% RW : Rs. 752166.40
	100% RW : Rs. 378593.99
	More than 100% : Rs. 104875.77
	Deducted : Rs. 5882.65
<b>Total</b>	<b>Rs. 1241518.81</b>

**TABLE DF-6 : CREDIT RISK****Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach****(a) Qualitative Disclosures**

- Policies and Processes for Collateral Valuation and Management**  
A Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, addressing the Bank's approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation is in place.  
The objective of this Policy is to enable classification and valuation of credit risk mitigants in a manner that allows regulatory capital adjustment to reflect them.  
The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts), wherever applicable against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. The following issues are addressed in the Policy:
  - Classification of credit risk mitigants
  - Acceptable credit risk mitigants
  - Documentation and legal process requirements for credit risk-mitigants
  - Valuation of collateral
  - Custody of collateral
  - Insurance
  - Monitoring of credit risk mitigants





- **बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ ली गई हैं उनका ब्योरा**  
मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है:
    - नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाशियाँ/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
    - स्वर्ण
    - केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
    - ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ जिन्हें बीबीबी या बेहतर रेटिंग प्राप्त है / अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए पीआर 3 / पी 3 / एफ 3 / ए 3
  - **मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण - पात्रता**  
बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करता है :
    - सरकार, सरकारी संस्थाएँ (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुदेशीय विकास बैंक, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार हो।
    - अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (ऑब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं (गारंटियों में भी) में हिस्सेदारी है।
- जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी :**
- बैंक का आस्ति - संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ प्राप्त की गई हैं, यथा :-
- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ
  - सरकारों और अच्छी रेटिंग वाले कारपोरेटों द्वारा गारंटियाँ,
  - प्रतिपक्षों की अचल और चालू आस्तियाँ,

**तालिका डीएफ - 6 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण; मानकीकृत पद्धति के लिए प्रकटीकरण**

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण: 31.03.2010 को स्थिति	(राशि करोड़ रुपये में)
प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो कटौतियाँ लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	73,242.54
प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। (जहाँ कहीं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)	48,315.55

**तालिका डीएफ-7: प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण**

गुणात्मक प्रकटीकरण					
(क) प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है, के अनुसार निम्नलिखित विवरण दिया गया है :					
• प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है ? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक				
• प्रतिभूत आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप।	लागू नहीं				
• प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह, किया जाता है (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक सेवाप्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, नकदी प्रदाता, विनिमय प्रदाता, संरक्षण प्रदाता <sup>#</sup> ) और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता	<table border="1"> <tr> <td>ऋणियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित ऐसे लेनदेन के लिए बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटियों की राशि जो ऋण वृद्धियों के रूप में वर्गीकृत की गई है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि. (एआरसीआईएल) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश</td> <td>रु. करोड़ में 668.12</td> </tr> <tr> <td>@ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर / करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में नियामक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरिवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।</td> <td>176.17</td> </tr> </table>	ऋणियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित ऐसे लेनदेन के लिए बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटियों की राशि जो ऋण वृद्धियों के रूप में वर्गीकृत की गई है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि. (एआरसीआईएल) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश	रु. करोड़ में 668.12	@ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर / करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में नियामक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरिवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	176.17
ऋणियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित ऐसे लेनदेन के लिए बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटियों की राशि जो ऋण वृद्धियों के रूप में वर्गीकृत की गई है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि. (एआरसीआईएल) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश	रु. करोड़ में 668.12				
@ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर / करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में नियामक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरिवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	176.17				
• प्रतिभूतिकरण निवेशों में ऋण और बाजार जोखिम में होने वाले परिवर्तनों (अर्थात संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में दिनांक 1 जुलाई 2009 के एनसीएफ के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में उल्लेख है)।	प्रतिभूतिकरण लेनदेन में निवेश बैंक गारंटियों के रूप में किया गया है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण वृद्धि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये गैर निधि आधारित सुविधाओं का ही हिस्सा हैं और इनकी हर वर्ष समीक्षा की जाती है। गारंटी लागू करने का अनुभव और सुविधाओं का निष्पादन संतोषजनक रहा है।				
• प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का नीचे वर्णन किया गया है;	लागू नहीं				





- **Description of the main types of Collateral taken by the Bank**  
The following Collaterals are usually recognised as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach :
  - Cash or Cash equivalent (Bank Deposits/NSCs/KVP/LIC Policy, etc.)
  - Gold
  - Securities issued by Central / State Governments
  - Debt Securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments
- **Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness**  
The Bank accepts the following entities as eligible guarantors, in line with RBI Guidelines :
  - Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European Community as well as Multilateral Development Banks, Export Credit & Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)], Public Sector Enterprises (PSEs), Banks and Primary Dealers with a lower risk weight than the Counterparty.
  - Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate or subsidiary, they should enjoy a risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognised by the Bank. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entity.

**Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken:**

The Bank has a well-dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as:-

- Eligible financial collaterals listed above
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporates,
- Fixed assets and current assets of the counterparty.

**TABLE DF-6 : CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH**

b) Quantitative Disclosures: Status as on 31.03.2010	(Amount in Rupee crores)
For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	73242.54
For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	48315.55

**TABLE DF-7 : SECURITISATION - DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH**

Qualitative Disclosures			
(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:			
• the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.		NIL	
• the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets;		NOT APPLICABLE	
• the various roles played by the bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider@, protection provider#) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;		BGs provided by Bank for securitization transactions of borrowers which were categorized as credit enhancements.	Rs. in crores
@ A bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules.			668.12
# A bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.		Investment in the Security Receipts issued by ARCIL	176.17
• a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2009).		Exposure to securitization transaction is on account of Bank Guarantees issued which RBI has categorized as Credit enhancements. These are part of NFB facilities which are reviewed annually. The invocation record and performance of the facilities has been satisfactory.	
• a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;		N.A.	





तालिका डीएफ -7 : (जारी)

गुणात्मक प्रकटीकरण :															
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखाकरण नीतियों का निम्नलिखित सहित सारांश निम्नानुसार है:														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है;</li> </ul>	लागू नहीं													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियाँ और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)</li> </ul>	लागू नहीं													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>पिछली अवधि के प्रमुख पूर्वानुमान और लागू की गई पद्धतियों में परिवर्तन तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव</li> </ul>	लागू नहीं													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है</li> </ul>	लागू नहीं													
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया	लागू नहीं													
<b>गुणात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही</b>															
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक													
(ङ)	चालू अवधि के दौरान ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से हुई किन हानियों की बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें	निरंक													
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक													
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं													
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के स्वरूप सहित) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियाँ जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है	निरंक													
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।</li> </ul>	निरंक													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण अनुसार अलग अलग विवरण दें।</li> </ul>	रु. 668.12 करोड़ की बैंक गारंटियों के रूप में ऋण-वृद्धि													
(ञ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">रु. करोड़ में</th> </tr> <tr> <th>राशि</th> <th>पूंजी खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>549.34</td> <td>49.44</td> </tr> <tr> <td>118.78</td> <td>3.21</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>668.12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>52.65</td> </tr> </tbody> </table>		रु. करोड़ में		राशि	पूंजी खर्च	549.34	49.44	118.78	3.21	कुल	668.12		52.65
रु. करोड़ में															
राशि	पूंजी खर्च														
549.34	49.44														
118.78	3.21														
कुल	668.12														
	52.65														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाई गई ऋण-वृद्धियों की राशि तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण दें)।</li> </ul>	लागू नहीं													
<b>गुणात्मक प्रकटीकरण : क्रय-विक्रय</b>															
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण दें।	निरंक													
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>तुलन पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिनके संबंध में खरीद की गई है</li> </ul>	निरंक													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम। प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण दें</li> </ul>	निरंक													
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जिन्हें निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखा गया या जिनके लिए खरीद की गई:	निरंक													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, और</li> </ul>	निरंक													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विवरण दें</li> </ul>	निरंक													
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिभूतिकरण की निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत अपेक्षा</li> </ul>	मद	<table border="1"> <thead> <tr> <th>राशि रु. करोड़ में</th> <th>पूंजी पर्याप्तता रु. करोड़ में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>176.17</td> <td>37.83*</td> </tr> </tbody> </table>	राशि रु. करोड़ में	पूंजी पर्याप्तता रु. करोड़ में	176.17	37.83*								
राशि रु. करोड़ में	पूंजी पर्याप्तता रु. करोड़ में														
176.17	37.83*														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग)</li> </ul>	प्रतिभूति रसीदें													

\* भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 37.83 करोड़ (प्रतिभूति - रसीदों में किए गए निवेश के बाजार मूल्य का 50%) टियर I पूंजी में से घटाया गया है। शेष 50% टियर II पूंजी में से घटाया गया है।





**TABLE DF-7 : (CONTD....)**

<b>Qualitative Disclosures</b>			
(b)	Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:		
	• whether the transactions are treated as sales or financings;	NA.	
	• methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	N.A	
	• changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	N.A	
	• policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets.	N.A	
(c)	In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	N.A	
<b>Qualitative Disclosures: Banking Book</b>			
(d)	The total amount of exposures securitised by the bank.	NIL	
(e)	For exposures securitised losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL	
(f)	Amount of assets intended to be securitised within a year	NIL	
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.	N.A.	
(h)	The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.	NIL	
(i)	Aggregate amount of:		
	• on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and	NIL	
	• off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type	Credit Enhancement by way of BGs Rs.668.12 crores	
(j)	• Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach	Rs. in crores	
		Amount	Capital Charge
		549.34	49.44
		118.78	3.21
	Aggregate	668.12	52.65
	• Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	N.A.	
<b>Qualitative Disclosures: Trading Book</b>			
(k)	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	NIL	
(l)	Aggregate amount of:		
	• on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	NIL	
	• off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.	NIL	
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:	NIL	
	• securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and	NIL	
	• securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	NIL	
(n)	Aggregate amount of:	NIL	
	• the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.	Item	Amount Rs. in crores
	• securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Security Receipts	176.17
			Capital Adequacy Rs.in crores
			37.83*

\* In terms of RBI guidelines, Rs.37.83 crores (being 50% of the Market Value of investment in Security Receipts) has been deducted from the Tier I capital. The remaining 50% has been deducted from Tier II capital.





**तालिका डीएफ-8**  
**व्यापार-बही में बाजार-जोखिम**  
**मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटीकरण**

**गुणात्मक प्रकटीकरण :**

- 1) बाजार जोखिम की गणना के अंतर्गत - **मानकीकृत अवधि** पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :
  - 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियाँ
  - 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों की प्रतिभूतियों की प्रतिरक्षा के लिए और व्यापार के लिए डेरीवेटिव्स निष्पादित किए गए।
- 2) जोखिम प्रबंधन संरचना के लिए बैंक और अनुषंगियों के संबंधित बोर्डों के अनुमोदन के आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी)/मध्य कार्यालय खोले गए हैं। बाजार जोखिम इकाइयाँ - राजकोष परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं।
- 3) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए - सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों सहित बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापार और विनिधान नीतियां लागू की गई हैं। जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और निर्धारित अंतरालों पर स्थिति की सूचना शीर्ष प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।
- 4) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।
- 5) विदेशी कार्यालय अपने निवेश-संविभाग की निगरानी उस देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं के अनुसार करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए स्टाप लोस लिमिट और जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
- 6) जोखिम रूपरेखाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनकी प्रभावकारिता की निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है।
- 7) फोरेक्स ओपन पोजीशन सीमाएं (दिन/रात), सौदावार हानिरहित सीमाएं, हानि नियंत्रित सीमाएं, प्रति मुद्रा व्यापार के संबंध में लाभ/हानि की उचित निगरानी रखी जाती है और अपवादात्मक सूचना पर नियमित ध्यान दिया जाता है।

**मात्रात्मक प्रकटीकरण :**

31.03.2010 की स्थिति के अनुसार - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूँजी अपेक्षा निम्नवत है : (रुपये करोड़ में)

• व्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	:	2442
• ईक्विटी स्थिति जोखिम	:	2510
• विदेशी विनियम जोखिम	:	116
<b>योग</b>	:	<b>5068</b>





**TABLE DF- 8**  
**MARKET RISK IN TRADING BOOK**

**Disclosures for banks using the Standardised Duration Approach**

**Qualitative disclosures:**

- 1) The following portfolios are covered by the **Standardised Duration** approach for calculation of Market Risk:
  - Securities held under the Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.
  - Derivatives entered into for hedging HFT&AFS securities and Derivatives entered into for Trading.
- 2) Market Risk Management Department (MRMD)/Mid-Office have been put in place based on the approval accorded by the respective Boards of Banks and other subsidiaries for the Risk Management Structure. Market risk units are responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of Market Risk in Treasury operations.
- 3) Board approved Trading policies and Investment Policies with defined Market Risk management parameters for each asset class are in place. Risk monitoring is an ongoing process with the position reported to the Top management and the Risk Management Committee of the Board at stipulated intervals.
- 4) Risk Management and reporting is based on parameters such as a Modified Duration, Price Value of Basis Point (PVBP), Maximum permissible Exposures, Net Open Position limits, Gap limits, Value at Risk (VaR) etc, in line with the global best practices.
- 5) Respective Foreign Offices are responsible for risk monitoring of their investment portfolio as per the local regulatory requirements. Stop loss limit for individual investments and exposure limits for certain portfolios have been prescribed.
- 6) Risk Profiles are analysed and their effectiveness is monitored on an ongoing basis.
- 7) Forex open position limits (Daylight/Overnight), Deal wise cut-loss limits, Stop loss limit, Profit/Loss in respect of Cross Currency trading are properly monitored and exception reporting is regularly carried out.

**Quantitative disclosures:**

Minimum Regulatory Capital requirements for market risk as on 31.03.2010 is as under: (Rs in crores)

• Interest rate risk (Including Derivatives)	:	2442
• Equity position risk	:	2510
• Foreign exchange risk	:	116
<b>Total</b>	:	<b>5068</b>





**तालिका डी एफ - 9 : परिचालन - जोखिम**

**क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन**

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसकी प्रत्येक बैंकिंग अनुष्ंगी में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।

**ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां**

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, जिसमें परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं कार्यक्षम पहचान, निर्धारण, मापन, निगरानी कम करने एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं समनुरूप परिचालन जोखिम प्रबंधन रूपरेखा की बात कही गई है, बैंक में लागू है।
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी) बैंक में लागू है।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानक संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपाय बैंक में लागू हैं।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है।

**ग. कार्यनीतियाँ और प्रक्रियाएँ :**

- बैंक द्वारा एक "अनुदेशावली" जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए गए हैं। दिशानिर्देश और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-सर्कुलरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- बैंक द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में सभी कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों की सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) के अंतर्गत लाया गया।
- जोखिम का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के लिए परिचालन जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का एक व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शाखाओं से हानि के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक वैब आधारित टूल तैयार किया गया है।
- स्टाफ को प्रशिक्षण - परिचालन जोखिम की जानकारी बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में शामिल की गई है।
- बीमा - बैंक द्वारा भावी परिचालन जोखिम के लिए बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और विशिष्ट नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए जबाबदार हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों का कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) प्रक्रिया की देशी शाखाओं और केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्रों में शुरुआत की जा रही है, ताकि बैंक में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, नियंत्रण और न्यूनीकरण किया जा सके। शाखाओं से हानि के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक वैब आधारित टूल तैयार किया गया है।
- महत्वपूर्ण परिचालन जोखिमों का विस्तृत निर्धारण फोकस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस फोकस ग्रुप में नियंत्रक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये ग्रुप सम्पूर्ण बैंक में कार्यान्वयन करने हेतु नियंत्रण एवं (जोखिम) कम करने के उपाय भी सुझाते हैं।

**घ. जोखिम रिपोर्ट करने एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति-**

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली बैंक में लागू है। निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी व्यवसाय इकाइयों में स्थापित की गई है।
- दिनांक 31.03.2010 के लिए, परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

**तालिका डी एफ-10**

**बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)**

**1. गुणात्मक प्रकटीकरण**

**ब्याज दर जोखिम :**

ब्याज दर जोखिम आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की निवल ब्याज आय तथा उसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। तुलन-पर की स्थिति के आधार पर बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरें बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन-पर की आस्ति एवं देयता दोनों तरफ रहता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति तुलन-पर जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलामों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमा राशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

- 1.1 ब्याज दर अंतर के विश्लेषण, अनुरूपता, अवधि एवं जोखिम पर मूल्य के साथ ब्याज दर जोखिम निवेश को मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है।
- 1.2 अवधि विश्लेषण के जरिए बैंक के निवेशों के अचल आय संविभाग की ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बैंक, उसकी आस्तियों एवं देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दरों में परिवर्तन के असर का मूल्यांकन करने के लिए तिमाही आधार पर अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है और इस प्रकार इक्विटी के बाजार मूल्य के परिवर्तन का पता लगाता है।
- 1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है :

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	20%

- 1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल असर को पूंजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूंजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुस्था प्रदान करती है।
- 1.5 अवधि अंतर : उपलब्ध बाजार ब्याज दर के किसी परिवर्तन के सहारे आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य के परिवर्तन की पहचान कर अवधि अंतर विश्लेषण द्वारा इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी की जाती है। आस्ति एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1 प्रतिशत समानांतर परिवर्तन के साथ इक्विटी के मूल्य (आरक्षितियों सहित) के परिवर्तन का आकलन किया जाना चाहिए। ब्याज दरों में 1 प्रतिशत परिवर्तन के साथ उस अधिकतम सीमा को पूंजी एवं आरक्षितियों के 20% तक सीमित कर दिया जाना चाहिए, जहाँ तक इक्विटी का मूल्य (आरक्षितियों सहित) बाधित होता हो।

**2. परिमाणमात्मक प्रकटीकरण जोखिम पर अर्जन**

(रुपये करोड़ में)

आस्तियाँ	देयताएँ	निवल ब्याज आय पर असर
उधार दर / निवेश पर आय में 100 आधार अंकों की वृद्धि	सावधि जमा / उधार लागत में 100 आधार अंकों की वृद्धि	2,516.88
<b>इक्विटी का बाजार मूल्य</b>		
<b>मार्च 2010 तक</b>		रशि करोड़ रुपये में
इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव		592.83







**TABLE DF-9 : OPERATIONAL RISK**

**A. The structure and organization of Operational Risk Management function**

- The Operational Risk Management Department is functioning in SBI as well as each of the Associate Banks as part of the Integrated Risk Governance Structure under the control of respective Chief Risk Officer.

**B. Policies for control and mitigation of Operational Risk**

- Operational Risk Management Policy, seeking to establish explicit and consistent Operational Risk Management Framework for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring, mitigation and reporting of the Operational Risks is in place.
- Policy on Business Continuity Planning (BCP) is in place.
- Policy on Know Your Customer (KYC) Standards and Anti Money Laundering (AML) Measures is in place.
- Policy on Fraud Risk Management is in place.

**C. Strategies and Processes -**

The following measures are being used by the Bank to control and mitigate Operational Risks:

- Bank has issued "Book of Instructions", which contains detailed procedural guidelines for processing various banking transactions. Amendments and modifications to these guidelines are implemented through circulars sent to all the offices. Guidelines and instructions are also propagated through Job Cards, E-Circulars, Training Programmes, etc.
- Bank has issued necessary instructions to all offices regarding Delegation of Financial powers, which details sanctioning powers of various levels of officials for different types of financial transactions
- All branches of State Bank of India as well as Associate Banks have been brought under Core Banking System (CBS).
- The process of building a comprehensive database of losses due to Operational Risks has been initiated to facilitate better risk management. A web-based tool for collecting loss data from Branches has also been developed.
- Training of staff - Inputs on Operational Risk is included as a part of Risk Management modules in the training programs conducted for various categories of staff at Bank's Apex Training Institutes and Learning Centers.
- Insurance - Bank has obtained Insurance cover for major potential operational risks.
- Internal Auditors are responsible for the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the control systems and the functioning of specific control procedures. They also conduct review of the systems established to ensure compliance with legal and regulatory requirements, codes of conduct and the implementation of policies and procedures.
- Risk and Control Self Assessment (RCSA) process is being rolled out in domestic branches and CPCs for identification, assessment, control and mitigation of Operational Risks in the Bank. A web-based tool has been designed for this purpose.
- Detailed assessment of significant Operational Risks is conducted by Focus Groups consisting of senior officials at Controlling Offices. These Groups also suggest control and mitigation measures for implementation across the Bank.

**D. The scope and nature of Risk Reporting and Measurement Systems -**

- A system of prompt submission of reports on Frauds is in place in the Bank. A comprehensive system of Preventive Vigilance has been established in all the business units of the Group.
- For 31.03.2010, Basic Indicator Approach with capital charge of 15% of average gross income for previous 3 years is adopted for Operational Risk.

**TABLE DF-10  
INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRB)**

**1. Qualitative Disclosures**

**Interest Rate Risk:**

Interest rate risk refers to impact in Bank's Net Interest Income and the value of its assets and liabilities arising from fluctuations in interest rate due to internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset - Liability Management Committee (ALCO) is responsible for evolving appropriate systems and procedures for ongoing identification and analysis of Balance Sheet risks and laying down parameters for efficient management of these risks through Asset Liability Management Policy of the Bank. ALCO, therefore, periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. ALCO also develops the market risk strategy by clearly articulating the acceptable levels of exposure to specific risk types (i.e. interest rate, liquidity etc). The Risk Management Committee of the Board of Directors (RMCB) oversees the implementation of the system for ALM and review its functioning periodically and provide direction. It reviews various decisions taken by Asset - Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk at monthly intervals through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Repricing Gaps) to be prepared as the last Reporting Friday of each month. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis.

1.2 Interest rate risk in the Fixed Income portfolio of Bank's investments is managed through Duration analysis. Bank also carries out Duration Gap analysis (on quarterly basis) to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities and thus arrive at changes in Market Value of Equity (MVE).

1.3 The following prudential limits have been fixed for monitoring of various interest risks:

Changes on account of Interest rate volatility	Maximum Impact (as % of Capital and Reserve)
Changes in Net Interest Income (with 1% change in interest rates for both assets and liabilities)	5%
Change in Market value of Equity (with 1% change in interest rates for assets and liabilities)	20%

1.4 The prudential limit aims to restrict the overall adverse impact on account of market risk to the extent of 20% of capital and reserves, while part of the remaining capital and reserves serves as cushion for credit and operational risk.

1.5 **Duration Gap:** The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity is monitored through Duration Gap analysis by recognising the changes in the value of assets and liabilities by a given change in the market interest rate. The change in value of equity (including reserves) with 1% parallel shift in interest rates for both assets and liabilities is estimated. **Maximum limit up to which the value of the equity (including reserves) will get affected with 1% change in interest rates is restricted to 20% of capital and reserves.**

**2. Qualitative Disclosures**

**Earnings at Risk (EaR)**

(Rs.in crores)

Assets	Liabilities	Impact on NII
Lending rate / yield on investment increase by 100 bps.	Term Deposit / Borrowing Cost increases by 100 bps.	2156.88

**Market Value of Equity (MVE)**

(Rs.in crores)

	As at March 2010
	Amount
Impact on Market Value of Equity (MVE)	592.83





**डीएफ - समूह जोखिम**  
**समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण**

गुणात्मक प्रकटीकरण		
<b>विवरण 1 (देश में स्थित समूह की कंपनियों के संबंध में)</b>		
<b>सामान्य विवरण</b>		
क. कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों** ने कारपोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।	
ख. प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों** ने प्रकटीकरण से संबंधित श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है / उनका अनुपालन कर रही हैं।	
ग. समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में तात्कालिक नीति का पालन	यह प्रमाणित किया जाता है कि स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन तात्कालिक आधार पर निष्पादित किए गए हैं, चाहे उनके कारोबारी जोखिम प्रबंधन का मामला हो या फिर प्रतिभूतियों के प्रावधान आदि का मामला हो।	
घ. साझा विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि समूह की कंपनियाँ साझे विपणन, ब्रांडिंग में एस बी आई के नाम का अव्यक्त ढंग से उपयोग कर रही हैं।	
ङ. वित्तीय सहायता का ब्योरा <sup>#</sup> , यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है / न ही प्राप्त की है।	
च. समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।	
<b>विवरण 2 (विदेश में स्थित समूह की कंपनियों के संबंध में)</b>		
<b>सामान्य विवरण</b>		
क. कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।	
ख. प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण से संबंधित श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया गया है / उनका पालन किया जा रहा है।	
ग. समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में तात्कालिक नीति का पालन	यह प्रमाणित किया जाता है कि समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन तात्कालिक आधार पर निष्पादित किए गए हैं, चाहे उनके कारोबारी जोखिम प्रबंधन का मामला हो या फिर प्रतिभूतियों के प्रावधान आदि का मामला हो।	
घ. साझा विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि समूह की कंपनियाँ साझे विपणन, ब्रांडिंग में एस बी आई के नाम का अव्यक्त ढंग से उपयोग कर रही हैं।	
ङ. वित्तीय सहायता का ब्योरा <sup>#</sup> , यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है / न ही प्राप्त की है।	
च. समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।	
# समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं: क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण; ख) समूह की इकाइयों को जिस तात्कालिक नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना; ग) समूह के भीतर अलग अलग कंपनियों की ऋण चुकोती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना; घ) पूंजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना; ङ) प्रति चुकोती में चूक संबंधी शर्तों को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।		
**सम्मिलित कंपनियाँ :		
बैंकिंग-देश में स्थित	बैंकिंग-विदेश में स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई (कैलिफोर्निया) लि.	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर	एसबीआई (कनाडा) लि.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा.लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद	एसबीआई (मारीशस) लि.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर	कमर्शियल बैंक ऑफ़ इंडिया एलएलसी, मास्को	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	पी टी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई लाइफ़ इश्योरेंस कं. लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर		एसबीआई जनरल इश्योरेंस कं. लि.
एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.		एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.

**DF - GR**  
**Additional Disclosures on Group Risk**

Qualitative Disclosure		
<b>Statement 1 (In respect of Domestic Group Entities)</b>		
<b>General Description on</b>		
a. Corporate Governance Practices	All Group Entities** adhere to good Corporate Governance practices.	
b. Disclosure Practices	All Group Entities** adhere to / follow good disclosure practices.	
c. Arm's Length Policy in respect of Intra Group Transactions	It is certified that all Intra-Group transactions within the State Bank Group have been effected on Arm's Length basis, both as to their commercial terms and as to matters such as provision of security.	
d. Common marketing, branding and use of SBI's Symbol	No Group Entity has made use of SBI symbol in a manner that may indicate to public that common marketing, branding implies implicit support of SBI to the Group Entity.	
e. Details of Financial Support#, if any	No Group Entity has provided / received Financial Support from any other entity in the Group.	
f. Adherence to all other covenants of Group Risk Management Policy	All covenants of the Group Risk Management Policy have meticulously complied with by the Group Entities**.	
<b>Statement 2 (In respect of Overseas Group Entities)</b>		
<b>General Description on</b>		
a. Corporate Governance Practices	All Group Entities** adhere to good Corporate Governance practices.	
b. Disclosure Practices	All Group Entities** adhere to / follow good disclosure practices.	
c. Arm's Length Policy in respect of Intra Group Transactions	It is certified that all Intra-Group transactions within the State Bank Group have been effected on Arm's Length basis, both as to their commercial terms and as to matters such as provision of security.	
d. Common marketing, branding and use of SBI's Symbol	No Group Entity has made use of SBI symbol in a manner that may indicate to public that common marketing, branding implies implicit support of SBI to the Group Entity.	
e. Details of Financial Support#, if any	No Group Entity has provided / received Financial Support from any other entity in the Group.	
f. Adherence to all other covenants of Group Risk Management Policy	All covenants of the Group Risk Management Policy have meticulously complied with by the Group Entities**.	
# Intra-group transactions which may lead to the following has been broadly treated as 'Financial Support': a) inappropriate transfer of capital or income from one entity to the other in the Group; b) violation of the Arm's Length Policy within which the Group entities are expected to operate; c) adverse impact on the solvency, liquidity and profitability of the individual entities within the Group; d) evasion of capital or other regulatory requirements; e) operation of 'Cross Default Clauses' whereby cross default clauses by a related entity on an obligation (whether financial or otherwise) is deemed to trigger a default on itself in its obligations.		
** Entities covered:		
Banking-Domestic	Banking-Foreign	Non-Banking
State Bank of India	SBI (California)Ltd.	SBI DFHI Ltd.
State Bank of Bikaner & Jaipur	SBI (Canada)Ltd.	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
State Bank of Hyderabad	SBI (Mauritius) Ltd.	SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.
State Bank of Indore	Commercial Bank of India LLC, Moscow	SBI Global Factors Ltd.
State Bank of Mysore	Nepal SBI Bank Ltd.	SBI Funds Management Pvt. Ltd.
State Bank of Patiala	PT Bank SBI Indonesia	SBI Life Insurance Co. Ltd.
State Bank of Travancore		SBI General Insurance Co. Ltd.
SBI Commercial & International Bank Ltd.		SBI Capital Markets Ltd.

